XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
30.01.2012		

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व अपील वाद संख्या–30/2002

U/S 48 (F) B.T.Act

1.हरिलाल महतो
2.लखन महतो } दोनों का पिता–स्व0 धुन्ना महतो
3.हरिलाल महतो,पिता–स्व0 उमन महतो
सभी का सा0–गोरियर कोठी (मिलिक टोला),थाना– रूपौली,पूर्णियाँ

----------आवेदकगण

बनाम्

1.उपेन्द्र महतों,पिता–शिवजी महतो
स0–रामपुर तिलक,थाना–जानकीनगर,जिला,पूर्णियाँ

----------विपक्षी

आ दे श

आवेदकगण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,बनमनखी के न्यायालय से बटाईदारी वाद स0–76/99–2000 U/S 48 (F) B.T.Act में पारित आदेश के विरूद्व यह वाद दायर किया गया है। आवेदक का कथन है कि मौजा रामपुर तिलक, थाना–जानकीनगर, खाता सं0–813, खेसरा सं0–2971,रकवा 20 1/2 डि0 जमीन का दखलकार एवं भू–स्वामी स्वयं है । विपक्षी उपरोक्त जमीन पर बटाई हक हेतु धारा 48 (F) B.T.Act अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,बनमनखी के न्यायालय में वाद दायर किया । इस वाद के संबंध में आवेदक को बिना नोटिस दिए ही निम्न न्यायालय द्वारा एक पक्षीय फेसला सुनाते हुए विपक्षी को प्रश्नगत जमीन का बटाईदार घोषित किया गया, जो नियम के विरूद्व है । न तो निम्न न्यायालय द्वारा और न ही समझौता बोर्ड द्वारा आवेदक को इस संबंध में नोटिस दी गई । उल्लेखनीय है कि आवेदक एवं विपक्षी एक ही परिवार के सदस्य है और खाता सं0–853,खेसरा सं0–2971 की जमीन दोनों पक्ष के पूर्वज के नाम से दर्ज है। अतः विपक्षी का यह कहना है कि वह प्रश्नगत जमीन का बटाईदार है ,गलत है क्योकि विपक्षी उपरोक्त खेसरा का सह हिस्सेदार कायमी रैयत है । विपक्षी के पिता आवेदक के विरूद्व अन्य जमीन के लिए स्वत्व वाद सं0–37/2000 दायर कर चुकें है । इससे भी दोनों पक्ष के बीच पारिवारिक संबंध की पुष्टि होती है । विपक्षी ने कहा है कि उसके पिता प्रश्नगत जमीन बटाई पर लिए थे । किन्तु विपक्षी ने जब निम्न न्यायालय में वाद दायर किया था उस समय उनके पिता जीवित थे फिर बटाईदारी हक के लिए विपक्षी के पिता को वाद दायर करना चाहिए था । स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय ने बिना किसी प्रक्रियाओं का पालन कर एक गलत आदेश पारित किया । अतः आवेदक इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि वाद की सुनवाई कर न्याय करने की कृपा की जाय ।

विपक्षी का कथन है कि आवेदकगण द्वारा प्रारंभ किया गया यह वाद किसी भी दृष्टिकोण से निवीन योग्य नही है । आवेदकगण नियत समय सीमा के वाद यह अपील वाद दायर किया है। आवेदकगण समझौता बोर्ड के समक्ष कभी उपस्थित नहीं हुए । वास्तविक्ता

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

यह है कि आवेदकगण रूपौली अंचल अन्तर्गत गोरियर गाँव में रहता है जो रामपुर तिलक से 50 किलोमीटर दुर है । ऐसी परिस्थिति में आवेदक का यह कथन कि प्रश्नगत जमीन में वह खेती स्वयं करता है यह गलत है । आवेदक ने सुगिया देवी को 5 डि0 जमीन बेचने की बात कहा है । लेकिन सुकिया देवी ने भी कभी न्यायालय में आपत्ति नहीं किया है । निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश आदेश विधि के अनुकूल है । अतः विपक्षी इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ किए गए इस वाद को खारित करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 23.01.2012 को उभय पक्षों को सुना ग या। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि निम्न न्यायालय में किसी तरह का नोटिश तामिला नहीं कराया गया है। समझौता परिषद की गठन संबंधी नोटिश भी आवेदक को प्राप्त नहीं है। निम्न न्यायालय के अभिलेख में भी तामिला अप्राप्त शब्द लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त आवेदक का कथन है कि विपक्षी खूद विवादित जमीन का Co-sharer रैयत है। परन्तु उनके द्वारा बटाईदारी के हक मांगा जा रहा है। विपक्षी द्वारा मात्र 20 डिसमिल जमीन का बटाईदारी की मांग किया गया है। इतने कम जमीन का बटाईदारी सामान्यः नहीं होती है। राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी आवेदक के गोतिया है। इन कारणों से निम्न न्यायालय का आदेश गलत है, इसलिये इसे खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपनी लिखित आवेदन में वर्णित बातों को दोहराया गया। निम्न न्यायालय में आवेदक को नोटिश तामिला नहीं होने की बात से सहमति जताया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा सुनवाई के बाद स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा आवेदक को विधिवत नोटिश किये बिना आदेश पारित किया गया। इस कारण से निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है। इसे खारिज करते हुए पुनः इस वाद को विधिवत सुनवाई/जाँच कर आदेश पारित करने का आदेश निम्न न्यायालय को दिया जाता है। इस निर्णय के साथ वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

30.1.12

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

30.1.12

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ